संस्थान के उत्पाद, पशुपोषण संरक्षण कार्ड एवं IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक

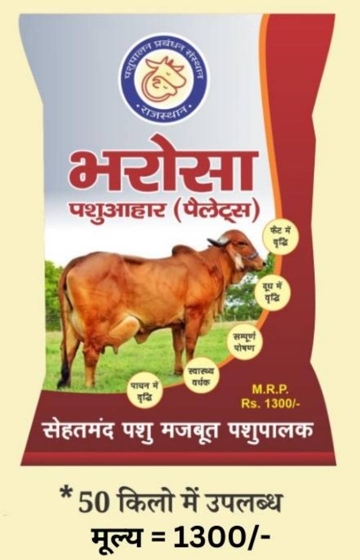

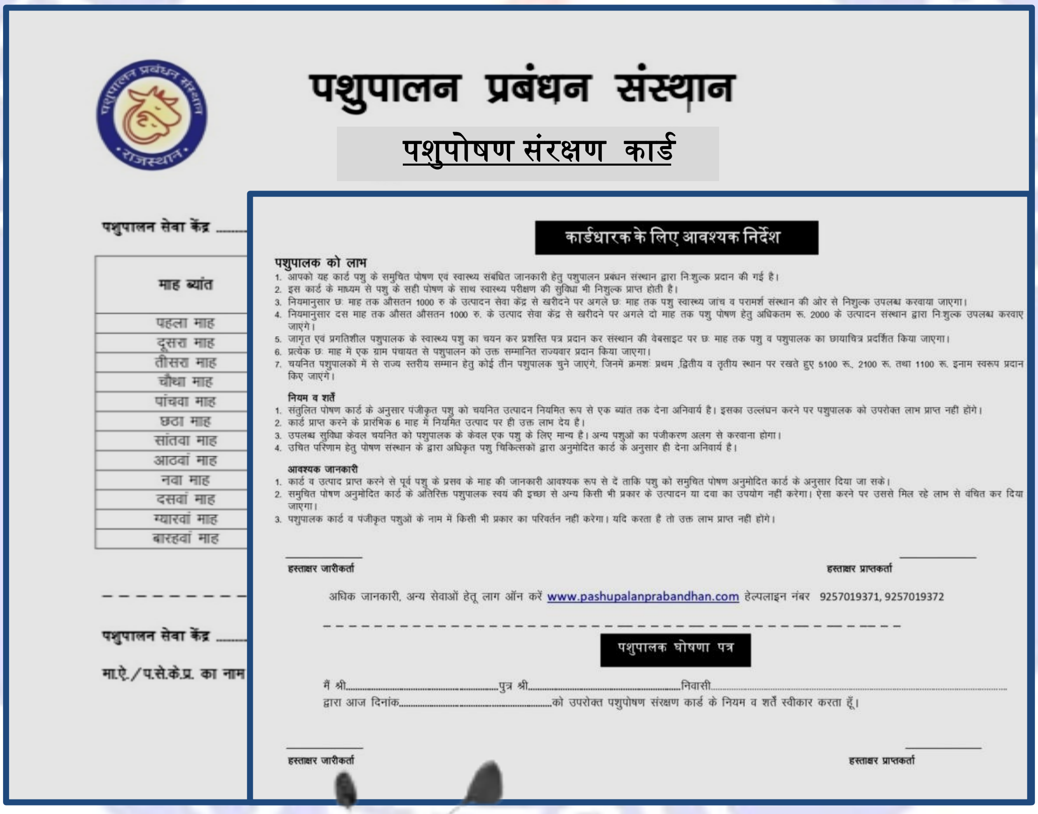

पशुपालन प्रबंधन संस्थान

पशुपोषण संरक्षण कार्ड

पशुपालन सेवा केंद्र ....

माह ब्यांत
पहला माह
दूसरा माह
तीसरा माह
चौथा माह
पांचवा माह
छठा माह
सांतवा माह
आठवां माह
नवा माह
दसवां माह
ग्यारवां माह
बारहवां माह

- - - - - - - - -

पशुपालन सेवा केंद्र ....

मा.ऐ./प.से.के.प्र. का नाम

कार्डधारक के लिए आवश्यक निर्देश

पशुपालक को लाभ

1. आपको यह कार्ड पशु के समुचित पोषण एवं स्वास्थ्य संबधित जानकारी हेतु पशुपालन प्रबंधन संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई है।
2. इस कार्ड के माध्यम से पशु के सही पोषण के साथ स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा भी निशुल्क प्राप्त होती है।
3. नियमानुसार छः माह तक औसतन 1000 रु के उत्पादन सेवा केंद्र से खरीदने पर अगले छः माह तक पशु स्वास्थ्य जांच व परामर्श संस्थान की ओर से निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
4. नियमानुसार दस माह तक औसत औसतन 1000 रु. के उत्पाद सेवा केंद्र से खरीदने पर अगले दो माह तक पशु पोषण हेतु अधिकतम रू. 2000 के उत्पादन संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे।
5. जागृत एवं प्रगतिशील पशुपालक के स्वास्थ्य पशु का चयन कर प्रशस्ति पत्र प्रदान कर संस्थान की वेबसाइट पर छः माह तक पशु व पशुपालक का छायाचित्र प्रदर्शित किया जाएगा।
6. प्रत्येक छः माह में एक ग्राम पंचायत से पशुपालन को उक्त सम्मानित राज्यवार प्रदान किया जाएगा।
7. चयनित पशुपालकों में से राज्य स्तरीय सम्मान हेतु कोई तीन पशुपालक चुने जाएंगे, जिनमें क्रमशः प्रथम ,द्वितीय व तृतीय स्थान पर रखते हुए 5100 रू., 2100 रू. तथा 1100 रू. इनाम स्वरूप प्रदान किए जाएंगे।

नियम व शर्तें

1. संतुलित पोषण कार्ड के अनुसार पंजीकृत पशु को चयनित उत्पादन नियमित रूप से एक ब्यांत तक देना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर पशुपालक को उपरोक्त लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
2. कार्ड प्राप्त करने के प्रारंभिक 6 माह में नियमित उत्पाद पर ही उक्त लाभ देय है।
3. उपलब्ध सुविधा केवल चयनित को पशुपालक के केवल एक पशु के लिए मान्य है। अन्य पशुओं का पंजीकरण अलग से करवाना होगा।
4. उचित परिणाम हेतु पोषण संस्थान के द्वारा अधिकृत पशु चिकित्सकों द्वारा अनुमोदित कार्ड के अनुसार ही देना अनिवार्य है।

आवश्यक जानकारी

1. कार्ड व उत्पाद प्राप्त करने से पूर्व पशु के प्रसव के माह की जानकारी आवश्यक रूप से दें ताकि पशु को समुचित पोषण अनुमोदित कार्ड के अनुसार दिया जा सके।
2. समुचित पोषण अनुमोदित कार्ड के अतिरिक्त पशुपालक स्वयं की इच्छा से अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन या दवा का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा करने पर उससे मिल रहे लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
3. पशुपालक कार्ड व पंजीकृत पशुओं के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। यदि करता है तो उक्त लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

हस्ताक्षर जारीकर्ता | हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

अधिक जानकारी, अन्य सेवाओं हेतू लाग ऑन करें www.pashupalanprabandhan.com हेल्पलाइन नंबर 9257019371, 9257019372

- -

पशुपालक घोषणा पत्र

मैं श्री.......................पुत्र श्री.......................निवासी.......................
द्वारा आज दिनांक.......................को उपरोक्त पशुपोषण संरक्षण कार्ड के नियम व शर्तें स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर जारीकर्ता | हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

3
AMBULANCE
BAR LIGHT

6 चित्र में दिखाई गई एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रतीकात्मक रूप है
मॉडल भिन्न रूप में भी हो सकता है

पशुपालन प्रबंधन संस्थान की आगामी योजनाएं निम्न हैं:-

1. गोबर गैस संयंत्र योजना
2. पशु बीमा योजना
3. सूअर पालन फार्म
4. मधुमक्खी पालन फार्म
5. मुर्गी पालन फार्म
6. बकरी पालन फार्म
7. जैविक खाद योजना
8. कड़कनाथ फार्म

5.ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश :-

1. online application form में समस्त वांछित सूचनाएं अवश्य भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करे।
2. ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्थान की वेबसाइट http://www.pashupalanprabandhan.com/ पर जायें।
3. ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें।
4. आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर व ईमेल के आधार पर ही परीक्षा से संबन्धित आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में भरी गयी गलत सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. आवेदन पत्र का ऑनलाइन भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट से किया जा सकता हैं।
6. आवेदक को सलाह दी जाती हैं की वह आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें
7. आवेदन-पत्र को संस्थान के कार्यालय में भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।
8. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ई- मेल आईडी अलग – अलग भरे।

नोट :- आवेदक को सलाह दी जाती हैं की ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर स्वयं का भरें।

9. **<u>फोटो और हस्ताक्षर एवं दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश</u>**

<u>फोटो अपलोड करने के दिशा-निर्देश</u>

(a) फोटो जेपीईजी (JPEG/ JPG/PNG) प्रारूप में होनी चाहिए। फाइल का साइज 50 Kb. से 100 Kb. तक होना चाहिए।

<u>हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश:-</u>

(a) आवेदक काले अथवा गहरे नीले रंग के पेन द्वारा हस्ताक्षर ही अपलोड करे।

(b) हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।

(c) फाइल का साइज 10 Kb. से 50 Kb. तक होना चाहिए।

(d) हस्ताक्षर जेपीईजी (JPEG/ JPG/PNG) प्रारूप में होने चाहिए।

<u>दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश</u>

(a) दस्तावेज अपलोड करने के लिए फाइल की साइज न्यूनतम 100 kb व अधिकतम 200 kb तक होनी चाहिए।

(b) फाइल JPEG/JPG/PNG/PDF फॉमेट मे होनी चाहिए।

6. <u>चयन का आधार</u>:-

- सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच की जायेगी तत्पश्चात अभ्यर्थियों को ईमेल के द्वारा कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध पत्र भेजा जायेगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटेरी करवाकर डाक के माध्यम से संस्थान के पते पर भेजना होगा।

  विशेष :- संस्थान द्वारा कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध पत्र भेजे जाने संबन्धित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को अभ्यर्थी द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझ कर कार्य के सम्बन्ध में अनुबंध पत्र को 100 रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर संस्थान कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत व अपूर्ण अनुबंध पत्र भेजा जायेगा तो, गलत व अपूर्ण अनुबंध पत्र को संस्थान द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आगे की सूचना नहीं भेजी जायेगी।
- जिन अभ्यर्थियों के अनुबंध पत्र नियत तिथि तक प्राप्त हो जाएगे उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जायेगा।
- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- आवेदक का अंतिम चयन साक्षात्कार एवं साक्षात्कार के समय दिए गये प्रपत्र के माध्यम से किया जायेगा।
- साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिसकी सूचना संस्थान द्वारा अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जायेगी। यह प्रशिक्षण जयपुर में होगा जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

7. साक्षात्कार का कार्यक्रम

- साक्षात्कार कुल 100 अंको का होगा।

  ***साक्षात्कार के अंको की गणना अनुशासन,दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार पत्र में भरे गए उत्तर एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी**

- साक्षात्कार उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना आवश्यक है।

8. संस्थान के बारे में सामान्य जानकारी :-

I. पशुपालन प्रबंधन संस्थान राजस्थान सरकार द्वारा पंजीकृत राज्य स्तरीय गैर सरकारी संगठन (NGO) हैं। जो की पशुपालन क्षेत्र में पशुपालकों की आय में वृद्धि करने एवं पशुधन के लिए उचित मूल्यों पर उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता हैं साथ ही पशुधन संबंधित योजनाओं का लाभ पशुपालकों तक पहुंचाने का कार्य करता हैं।

II. संस्थान के बारे में अधिक जानकारी के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट http://www.pashupalanprabandhan.com/ पर जाये, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त की गयी जानकारी के लिए पशुपालन प्रबंधन संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

III. संस्थान सम्पर्क सूत्र 9257019371, 9257019372 (सोमवार से शनिवार, सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक)।

IV. आवेदन पत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारी हेल्पलाइन 9257019371 , 9257019372 (सोमवार से शनिवार प्रातः 09:30 से सायं 05:30 तक) पर अथवा संस्थान के ई-मेल पता pashupalanprabandhan@gmail.com संपर्क कर सकते है।

IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक के बारे में सामान्य जानकारी

राज्य में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों एवं दूर –दराज के इलाकों में बेहतर पशु चिकित्सा की कमी है जिसके कारण पशुओं को समय उचित देखभाल नहीं मिल पाती । ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित प्रत्येक पशु चिकित्सक के पास वाहन नही होता है जिस कारण समय पर नही पहुँच पाने के कारण पशुओं को इलाज मिलने में देरी होती है। इलाज में देरी तथा समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण रोग से पीड़ित, घायल और पशु जन्म के समय पशु बेहतर पशु चिकित्सा से वंचित रह जाते है। इन्हीं सब समस्याओं के निवारण और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर पशु चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान ने IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक योजना आरम्भ की है।

IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से पशु चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे पशु चिकित्सक एवं अन्य सभी व्यक्ति समय पर पशु चिकित्सा सुविधा प्रदान कर पाएंगे तथा पशुओं के इलाज में काम आने वाले उपकरण, औजार एवं दवाइयां आसानी से अपने साथ रख पायेगा।

IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक वितरण की प्रक्रिया

पशु चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सेवा देने के इच्छुक पशु चिकित्सक,पशुधन सहायक एवं अन्य सभी व्यक्ति IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक के लिए आवेदन कर सकते है।

- ❖ आवेदक की योग्यता, दस्तावेज तथा अन्य सभी विवरण की जाँच के बाद ही आवेदक को IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान की जाएगी।

  ***आवेदक के आवेदन तथा दस्तावेज में किसी भी तरह की कमी/त्रुटि पाए जाने पर आवेदक को एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान नही की जाएगी।**

- ❖ प्रथम चरण में संस्थान द्वारा 120 एनिमल एम्बुलेंस बाइक वितरित की जाएगी।योजना में चयन होने पर पशु चिकित्सक और पशुधन सहायको को सूचना भेज दी जाएगी।
- ❖ योजना में चयन होने पर आवेदक को एडवांस राशि ई- मेल/मोबाइल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से जमा करवानी होगी।
- ❖ एडवांस राशि जमा करवाने के बाद आवेदक को एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान कर दी जाएगी तथा शेष राशि बाइक मिलने के बाद जमा करवानी होगी।

IAM official website link- http://www.pashupalanprabandhan.com
Link for apply online- https://www.pashupalanprabandhan.com/onlinerequirment/

* * *

पशुपालन प्रबंधन संस्थान IAM

सचिव